ई0एस0आई0, बिहार के राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक 17/01/2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति–

(i) श्री दीपक कुमार सिंह, भा0प्र0से0 — अध्यक्ष
प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार।

(ii) श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0 — सदस्य सचिव
निदेशक चिकित्सा सेवायें, कर्म0रा0बी0योजना, बिहार।

(iii) संयुक्त सचिव, — सदस्य
भवन निर्माण विभाग बिहार।

(iv) श्री डॉ0 आर0डी0 रंजन — सदस्य
निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं।

(v) डॉ अनिश सिंघल, — सदस्य
राज्य चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन ,पटना।

(vi) श्री अरविन्द कुमार, — सदस्य
क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन ,पटना।

(vii) श्री चन्द्र प्रकाश सिंह, — सदस्य
अध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, आई0एन0टी0यू0सी0,
गीतांजली, रोड नं0–3, राजीव नगर, पटना–24।

(viii) श्री रमेश कुमार, — आमंत्रित सदस्य
सी0जी0एम0, बी0एस0बी0सी0सी0एल0

(x) श्री अमर कुमार गौरव, — आमंत्रित सदस्य
प्रोजेक्ट मैनेजर, बी0एस0बी0सी0सी0एल0

सर्वप्रथम सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया एवं विगत बैठक दिनांक–06.03.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में की गयी कार्रवाई से सदस्यों को अवगत कराया गया।

माननीय सदस्यों को विगत बैठक की कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराया गया। कर्मचारी राज्य बीमा एजेण्डावार बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गई।
राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये–

1) **नन आई0एम0पी0सिस्टम वाले क्षेत्रों एवं कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय के बंद रहने की स्थिति में औपबन्धिक रेफर करने हेतु निगम के स्थानीय शाखा के शाखा प्रबंधक को प्राधिकृत करने के संबंध में**– समिति की बैठक में श्री अरविन्द कुमार, क्षेत्रीय निदेशक द्वारा किसी बीमित व्यक्ति को रेफर करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के

कृ0पृ0उ0

रूप में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के स्थानीय शाखा के शाखा प्रबंधक को औपबन्धिक रेफर करने हेतु सहमति देने का प्रस्ताव दिया गया । निगम के स्थानीय शाखा के शाखा प्रबंधक बीमित व्यक्ति की पहचान एवं हकदारी की पात्रता की जाँच कर बीमित व्यक्ति को औपबंधिक रेफर पत्र निर्गत करेंगे एवं उसकी एक प्रति संबंधित चिकित्सालय के प्रभारी पदाधिकारी का देंगे।

संबंधित चिकित्सालय के प्रभारी Admitted बीमित व्यक्ति की भर्त्ती की जाँच कर आगे की सलाह रेफर पुर्जा पर अंकित कर सकते हैं। यदि संबंधित व्यक्ति की प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी की ससमय Visit के बिना उसका इलाज पूर्ण हो जाता है तो औपबंधिक Refferal अंतिम समझा जायेगा और संबंधित टाईअप अस्पताल उस बीमित व्यक्ति का कैशलेश इलाज/जाँच कर ऐसे बिल को रेफरल पत्र के साथ नियमानुसार भुगतान के लिए उपस्थापित करेंगे एवं उन्हें इसका भुगतान किया जायेगा। बार–बार लेकिन यदि बिना उचित कारण/चिकित्सालय के चिकित्सक की उपलब्धता के रेफर किया जाता है तो इसका विस्तृत प्रतिवेदन प्रत्येक राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में विचार हेतु रखा जायेगा।

राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा निगम को इस शर्त पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के स्थानीय शाखा के शाखा प्रबंधक को आपात स्थिति में औपबन्धिक रेफर करने हेतु अस्थायी रूप से सहमति दी गयी। संविदा पर नियुक्त चिकित्सकों द्वारा चिकित्सालय में योगदान कर लेने पर पूर्व की व्यवस्था जारी रहेगी।

निगम इसका ससमय प्रतिवेदन निदेशालय एवं संबंधित कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय के प्रभारी पदाधिकारी को ससमय उपलब्ध करायें, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

2) बीमित व्यक्तियों के आकस्मिक दुर्घटना होने पर सी0जी0एच0एस0 की दर के बजाय चिकित्सा उपर हुए वास्तविक व्यय के भुगतान के संबंध में –

समिति की बैठक में श्री अरविन्द कुमार, क्षेत्रीय निदेशक द्वारा बताया गया कि किसी बीमित व्यक्ति के साथ आकस्मिक दुर्घटना होने पर उसे जीवन सुरक्षा हेतु नजदीक के किसी निजी चिकित्सीय संस्थानों में इलाज कराने की बाध्यता होती है, परन्तु उसके प्रतिपूर्ति देयक का भुगतान वास्तविक व्यय का भुगतान नहीं करके नियमानुसार सी0जी0एच0एस0 की दर पर किया जाता है, जिसमें बीमित व्यक्ति वित्तीय हानि उठानी पड़ती है।

उक्त आलोक में यह निर्णय लिया गया कि **बीमित व्यक्तियों के इलाज पर हुए खर्च की भुगतान की वर्तमान व्यवस्था को जारी रखा जायेगा।** क्षेत्रीय निदेशक, क0रा0बी0नि0 को कहा गया की वे निगम मुख्यालय, नई दिल्ली (भारत सरकार) से इस प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त करें। प्रस्ताव सभी तथ्यों सहित प्रधान सचिव–सह अध्यक्ष राज्य कार्यकारिणी समिति के माध्यम से भिजवायें तत्पश्चात हीं इसे राज्य में लागू करने पर विचार किया जायेगा।

(अनु0– क्षेत्रीय निदेशक, क0रा0बी0नि0)

3) कर्मचारी राज्य बीमा योजना बिहार के चिकित्सकों का मुख्यालय निर्धारित करने के संबंध में –

क्षेत्रीय निदेशक द्वारा प्रस्ताव दिया गया की कई चिकित्सालयों में कुछ दिनों के लिए पटना के चिकित्सकों का पटना के बाहर के चिकित्सालयों में प्रतिनियुक्ति की गई है। जिस कारण चिकित्सालय के पूरे कार्यदिवस में चिकित्सक की उपलबधता नहीं हो पाती है और बीमित व्यक्तियों को इलाज में परेशानी होती है। प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त कर उन चिकित्सकों को उनके पदस्थापित स्थान पर ही कार्य लिया जाय। प्रतिनियुक्त

चिकित्सकों का मुख्यालय उनके पदस्थापित स्थान पर यथासंभव रखने का प्रस्ताव दिया गया।

ज्ञातव्य है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चिकित्सालयों के लिए चिकित्सकों की संविदा पर नियुक्ति की गई है। विभिन्न कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों में कुछ चिकित्सकों द्वारा योगदान भी किया गया है। पर्याप्त रूप में चिकित्सकों की उपलब्धता हो जाने पर चिकित्सकों को उनके पदस्थापित चिकित्सालय में ही उनकी सेवा ली जायेगी। वर्तमान में चिकित्सक जहां पदस्थापित हैं, वही उनका मुख्यालय होगा।

(अनु0– क्षेत्रीय निदेशक, क0रा0बी0नि0/निदेशक, चिकित्सा सेवाएं)

4) मिशनरीज के निजी चिकित्सकीय संस्थानों को सी0जी0एच0एस0 दर पर बिना निविदा के टाई अप करने के संबंध में–

डॉ0 अनिश सिंघल, राज्य चिकित्सा आयुक्त, क0रा0बी0नि0 द्वारा बैठक में बताया गया की मिशनरीज के निजी चिकित्सकीय संस्थानों टाई अप हेतु निगम द्वारा निकाली गई निविदा में भाग नहीं लेते हैं, जबकि वे संस्थान सेवा भावना से कार्य करते है। यथा कुर्जी अस्तपाल द्वारा विगत निविदा में अपनी अभिरूचि नहीं दिखाई गई, जबकि मैटरनिटी से संबंधित चिकित्सा के लिए यह एक प्रसिद्ध संस्था है।

इस पर निदेशक चिकित्सा सेवायें द्वारा कहा गया कि बिना टेन्डर एवं निर्धारित प्रक्रिया के उन्हें टाई अप करना उचित नहीं होगा। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि भविष्य में जब भी टाई अप करने हेतु निगम द्वारा निविदा निकाली जाय तो उस स्थिति में मिशनरीज के निजी चिकित्सकीय संस्थानों से सम्पर्क कर उनसे टाई अप में शामिल हेतु सूचित/अनुरोध किया जाय एवं उन्हें आशवासन दिया जाय की उनके विपत्रों के भुगतान में विलम्ब नहीं होगा एवं ससमय नियमानुसार भुगतान होगा। इस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति दी गयी।

(अनुपालन– क्षेत्रीय निदेशक/राज्य चिकित्सा आयुक्त)

5) बीमा चिकित्सा व्यवसायी (IMP) से सम्बद्ध बीमित व्यक्तियों की वर्तमान निर्धारित संख्या 2000 से 3000 करने के संबंध में – क्षेत्रीय निदेशक द्वारा समिति को बताया गया कि कई अधिसूचित क्षेत्रों में आई0एम0पी0 से संबद्ध बीमित व्यक्तियों की संख्या 2000 से अधिक हो गयी है। अतः एक आई0एम0पी0 से संबद्ध बीमित व्यक्तियों की निर्धारित संख्या 2000 से बढ़ाकर 3000 किया जाय।

समिति द्वारा बैठक में निदेशक, चिकित्सा सेवाएं द्वारा कहा गया की वर्तमान जितने आई0 एम0 पी0 चिकित्सक निगम द्वारा अनुबंधित किए गये हैं, निगम द्वारा उनके कार्यकलापों का प्रतिवेदन समिति को नहीं दी जा रही है, जबकि पूर्व में भी निदेशित किया गया था।

प्रधान सचिव द्वारा कहा गया कि वर्तमान जिन अधिसूचित क्षेत्रों में आई0एम0पी0 चिकित्सक निगम द्वारा अनुबंधित किये गए हैं, के संबंध में निम्नलिखित सूचनायेंः–

- ❖ आई0एम0पी0 से सम्बद्ध क्षेत्रवार बीमित व्यक्तियों की संख्या,
- ❖ बीमित व्यक्तियों की बीमारी का विवरण,
- ❖ आई0एम0पी0 के द्वारा प्रतिदिन कितने बीमित व्यक्तियों का इलाज किया जा रहा है,
- ❖ कितने बीमित व्यक्तियों को रेफर किया जा रहा है एवं
- ❖ पिछले एक वर्ष में आई0एम0पी0 चिकित्सकों को भुगतान की गई राशि का विवरण

का प्रतिवेदन समेकित कर समिति को उपलब्ध कराये, जिससे आई0एम0पी0 के कार्यकलापों का पता चल सके।